दिल्ली विधान सभा

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों संबंधी समिति

छठा प्रतिवेदन

(22 नवम्बर, 2000 को सदन में प्रस्तुत)

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBER BILLS AND RESOLUTION

SIXTH REPORT

(Presented on 22 November, 2000)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय
पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT
OLD SECRETARIAT, DELHI-110054

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों संबंधी समिति

छठा प्रतिवेदन

[22 नवम्बर, 2000 को सदन में प्रस्तुत]

समिति का गठन

1.	चौ. प्रेम सिंह, माननीय अध्यक्ष	सभापति
2.	श्री मंगत राम सिंघल	सदस्य
3.	श्रीमती मीरा भारद्वाज	सदस्य
4.	श्री चरण सिंह कंडेरा	सदस्य
5.	श्री साहब सिंह चौहान	सदस्य
6.	श्री सुशील चौधरी	सदस्य
7.	श्री राम सिंह नेताजी	सदस्य

सचिवालय

1.	श्री एस.के.शर्मा	सचिव
2.	श्री सिद्धार्थ राॅव	संयुक्त सचिव
3.	श्री जी.सी.मेहता	अवर सचिव

.....

प्रतिवेदन

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों संबंधी समिति की आठवीं बैठक माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा के कक्ष में 8 नवम्बर, 2000 को 4.00बजे सम्पन्न हुई ।

सचिवालय ने समिति को सूचित किया कि पिछले सत्रों में सदन में पुर:स्थापित निम्नलिखित गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक सचिवालय में लम्बित पड़े हैं और उन्हें अभी विचार के लिये सूचीबद्ध किया जाना है ।

क्र.सं.	विधेयक का नाम	पुर:स्थापन की तिथि	सदस्य का नाम
1.	दिल्ली अनिवार्य शारीरिक एवं खेलकूद शिक्षा विधेयक	10.9.1999	श्री मुकेश शर्मा
2.	पर्यावरण संबंधी बीमारियां (रोकथाम एवं नियंत्रण) विधेयक, 2000	31.3.2000	डा.हर्षवर्धन
3.	दिल्ली यूनिट प्राइसिंग विधेयक, 2000	31.3.2000	श्रीमती किरण चौधरी
4.	महिला आरक्षण विधेयक, 2000	31.3.2000	श्री मुकेश शर्मा
5.	दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक , 2000	07.4.2000	श्रीमती अंजलि राय

इस मामले पर विचार-विमर्श करते हुए समिति ने मत व्यक्त किया कि ऐसे विधेयक, जिनमें विधान सभा कानून बनाने में सक्षम हों और जहाँ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम की धारा-22 के प्रावधान (धन विधेयकों के संबंध में) लागू न हो, को पुर:स्थापन के पश्चात सीधे विचार के लिये सूचीबद्ध किया जाना चाहिये, जो कि अगला उचित एवं यथासंगत कदम भी है । यदि सरकार की राय में विधेयक में कुछ कमियां अथवा कमजोरियां हैं तो विधान मंडलों की स्थापित परम्परा यह है कि संबद्ध मंत्री विचार के समय सदस्य का ध्यान संबंधित कमियों की ओर आकर्षित करे और विधेयक के प्रभारी सदस्य से अनुरोध करे कि वे विधेयक को वापस ले लें । कुछ मामलों में प्रभारी सदस्य विधेयक के संबंध में सरकार की

वचनबद्धता के बाद अपना विधेयक वापस भी ले लेते हैं । समिति का यह मत था कि यदि इसी प्रकार की प्रक्रिया दिल्ली विधान सभा में भी अपनाई जाये तो गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों के निपटान के लिये एक सही प्रक्रिया एवं स्वस्थ व्यवस्था स्थापित हो जायेगी ।

तत्पश्चात, समिति ने निर्णय लिया कि 5 गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक, जो पुर:स्थापित किये जा चुके हैं और सदन की सम्पत्ति बन चुके है, को विचार के लिये शुक्रवार, 24 नवम्बर, 2000 के लिये सूचीबद्ध किये जाऐं ।

समिति ने उपर्युक्त प्रत्येक विधेयक पर चर्चा के लिये 20 मिनट का समय आंबटित किया ।

समिति को सूचित किया गया कि जो दो विधेयकों, पुर:स्थापना के लिये लम्बित है, उनमें से एक सदस्यों के वेतन, भत्तों से संबंधित है जिसमें वित्त मामले का समावेश है अत: पुर:स्थापन से पूर्व राष्ट्रपति/उपराज्यपाल की पूर्व संस्तुति आवश्यक है, जो अभी आनी बाकी है ।

दूसरा विधेयक, जो दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम में संशोधन करने के संबंध में है, को अभी तक समिति ने पुर:स्थापन के लिये अनुमोदित नहीं किया है ।

समिति को सूचित किया गया कि आगामी सत्र के लिये सदस्यों से निम्नलिखित विधेयकों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं और सचिवालय द्वारा उनकी जांच की जा रही है :-

1· दिल्ली शैक्षणिक संस्थानों एवं समितियों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण विधेयक, 2000 - श्री मुकेश शर्मा

2· गुरू गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविधालय (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2000- श्री मुकेश शर्मा

3· आपराधिक कानून (रा·रा·क्षेत्र दिल्ली संशोधन) विधेयक, 2000 - श्रीमती किरण चौधरी

4· राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा के सदस्य (वेतन, भत्ते, पेंशन आदि) (संशोधन) विधेयक, 2000 - डा·जगदीश मुखी

समिति ने निर्णय लिया कि 24 नवम्बर, 2000 को पड़ने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के दिन का एजेन्डा पहले ही बहुत अधिक है, इसलिये इन विधेयकों की जांच की जाये और यदि आवश्यक हो तो विधि एवं अन्य विभाग या सम्बन्धित विभाग की राय ली जा सकती है। उसके बाद समिति के विचारार्थ उन विधेयकों को समिति की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जा सकता है।

गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प

पूछे जाने पर समिति को सूचित किया गया कि गैर सरकारी सदस्यों से काफी संख्या में संकल्पों की सूचनाएं प्राप्त हुई है। नियमानुसार उनमें से केवल 03 संकल्प ही लिये जा सकते हैं जिसके लिये बैलेटिंग होनी है। समिति के इस निर्णय को ध्यान में रखते हुए कि शुक्रवार, 24 नवम्बर, 2000 को गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक सूचीबद्ध किये जाऐं, सचिवालय ने संकल्पों को भी सूचीबद्ध किये जाने के बारे में समिति के निर्देश जानने चाहे। विचार-विमर्श के पश्चात समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि चूंकि सदस्यों से संकल्पों की सूचनाएं प्राप्त हो चुकी है, अतः बैलेटिंग में स्थान प्राप्त तीन संकल्पों को शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जा सकता है। यदि गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर चर्चा जल्दी समाप्त हो जाती है अथवा समय मिल जाता है तो संकल्प लिये जा सकते हैं।

समिति ने श्री मंगत राम सिंघल और उनकी अनुपस्थिति में श्री साहब सिंह चौहान को सदन में समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये प्राधिकृत किया।

दिल्ली

(चौ. प्रेम सिंह)
सभापति
गैर सरकारी सदस्योंके विधेयकों
एवं संकल्पों सम्बन्धी समिति

16 नवम्बर, 2000

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

SIXTH REPORT

(Presented on 22 November,2000)

CONSTITUTION OF THE COMMITTEE

1.	Ch. Prem Singh, Hon'ble Speaker,	Chairman,
2.	Sh. Mangat Ram Singhal,	Member
3.	Smt. Meera Bhardwaj,	Member
4.	Sh. Charan Singh Kandera,	Member
5.	Sh. Sahab Singh Chauhan,	Member
6.	Sh. Sushil Chaudhary,	Member
7.	Sh. Ram Singh Netaji,	Member

SECRETARIAT

1.	Sh. S.K.Sharma	Secretary
2.	Sh. Siddharath Rao	Joint Secretary
3.	Sh. G.C. Mehta	Under Secretary

R E P O R T

The Eighth meeting of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions was held in the Chamber of Hon'ble Speaker, Delhi Legislative Assembly, on 8th November, 2000 at 4.00 P.M.

The Secretariat informed the Committee that following Private Member Bills which were introduced during the previous Sessions are pending in the Secretariat and are still to be listed for consideration:

Sr.No.	Name of the Bill	Introduced on	Name of the Member
1.	The Delhi Compulsory Physical and sports Education Bill.	10.9.1999	Sh. Mukesh Sharma
2.	The environmental related diseases (Prevention and Control Bill,2000)	31.3.2000	Dr. Harshvardhan
3.	The Delhi Unit pricing Bill, 2000.	31.3.2000	Smt. Kiran Choudhry
4.	The Women Reservation Bill,2000.	31.3.2000	Sh. Mukesh Sharma
5.	The Code of Criminal Procedure (Amendment) Bill, 2000.	7.4.2000	Smt. Anjali Rai

Contd....2/-

The Committee deliberated upon the issue and expressed the views that in respect of Bills where the Assembly has the legislative competence to enact a law and where the provision of Section 22 of the NCT Act (relating to Financial Bills) are not attracted, the Priavte Member Bills after introduction should be straightaway listed for consideration which is the next logical step. If in the opinion of the Government there are shortcomings or infirmities in a Bill, the established practice in Legislatures is that the Minister concerned at the consideration stage should draw the attention of the Member to such shortcomings and request the member in charge to withdraw the same. In some cases, the member in charge of the Bill is also able to extract same promise from the Government and thereafter withdraws the Bill. The Committee was of the view that if similar procedure is adopted in Delhi Assembly, it would establish a set procedure and healthy arrangement for disposal of Private Members' Bills.

The Committee, therefore, decided that the 5 Private Member Bills which have already been introduced in the House and which have now become its property may be listed for consideration on Friday the 24th November,2000.

The Committee allotted time of 20 minutes for discussion on each of aforesaid Bills.

The Committee was informed that among the two Bills awaiting introduction, one relating to Salary, Allownaces of members involve financial implications and hence prior recommendation of President/Lt.Governor are required before its introduction which is awaited.

The Second Bill which seeks to amend the Delhi Jal Board Act has not so far been cleared for introduction by the Committee.

Contd....3/-

The Committee was apprised that for the ensuing Session notices of following Bills have been received from the Members and they are being examined in the Secretariat :-

1. The Delhi Reservation for other backward classes in Educational institutions and Committees Bill, 2000 by Sh. Mukesh Sharma

2. The Guru Gobind Singh Indraprastha University (Second Amendment) Bill, 2000 bySh. Mukesh Sharma

3. The Criminal laws (National Capital Territory of Delhi Amendment) Bill, 2000 by Smt. Kiran Choudhry.

4. The Delhi Members of Legislative Assembly of NCT of Delhi (Salary, Allowances, Pensions etc., Amendment) Bill, 2000 by Dr.Jagdish Mukhi

The Committee decided that since the agenda for the only Private Member day falling on 24th November, 2000 is already heavy, these Bills may be examined, if necessary in consultation with Law and other departments, and placed before the Committee for consideration in its next meeting.

PRIVATE MEMBERS' RESOLUTIONS

On being asked, the Committee was informed that notices of a number of Private Member Resolutions have been received. The Balloting for selecting three out of them, as per rules, is still to be held. The Secretariat sought the direction of the Committee as to whether the resolutions are still to be listed on Friday the 24th in view of the Committees' decision to earmark that date for disposal of Private Member Bills. After deliberations, the Committee came to the conclusion that since resolutions have been received from the members, there is no harm if three of them, which find place in balloting, are listed for being taken up on Friday. If the Private

Contd...4/-

Member Bills on that day get disposed off early or if time otherwise permits, the resolutions can be taken up.

The Committee authorised Sh. Mangat Ram Singhal and in his absence Sh.Sahab Singh Chouhan to present the Report of the Committee to the House.

(CH. PREM SINGH)
CHAIRMAN
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBER
BILLS AND RESOLUTIONS

DELHI

16th November, 2000